राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 17 ए/2021 अपील

1. श्रीमती कंचनबाई बेवा घीसा लाल ब्राह्मण निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा 2. सत्यनारायण पिता घीसा ब्राह्मण निवासी पुर 3. लक्ष्मीदेवी पुत्री घीसा ब्राह्मण निवासी पुर हाल निवासी दरीबा (कोटडी) तहसील व जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1307 नायब तहसीलदार भीलवाडा निर्णय दिनांक 25.07.1980 अपील अन्तर्गत धारा 75 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट

1. श्री हरदयाल वर्मा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री अंकित शर्मा अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 02 व 03 की ओर से अनु.

निर्णय

दिनांक 22.06.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 नायब तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 1307 दिनांक 25.07.1980 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्कालीन खातेदार स्व. घीसालाल पिता हेमा ब्राह्मण के तत्कालीन खाता संख्या 979 रकबा 21.18 बीघा, खाता संख्या 975 रकबा 12.17 बीघा एवं खाता संख्या 976 रकबा 15.04 बीघा भूमि सहकाश्तकार जानकीलाल के साथ साथ स्थित थी। स्व. घीसालाल की मृत्यु वर्ष 1980 में हो गयी, जिनकी विरासत का नामान्तरकरण 25.07.1980 को खोला गया, जिसमें अपीलार्थीया स्व. घीसा की पत्नी होने के नाते प्रथम श्रेणी की वारिस थी, जिसका नामान्तरकरण मे नाम दर्ज नहीं कर इंतकाल खोला गया जो विधि विरूद्व होने से

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। नायब तहसीलदार भीलवाडा द्वारा ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1307 दिनांकित 25.07.1980 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण रिमाण्ड कर नायब तहसीलदार भीलवाडा को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में अपीलार्थीया की सुनवायी की जाकर तथा समस्त दस्तावेजात एवं विधिक वारिसान की जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। अपीलार्थीया को आवश्यक रूप से पाबन्द किया जाता हैं कि वह इस प्रकरण में अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रखने हेतु संबंधित समस्त दस्तावेजात के साथ अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार भीलवाडा के यहां दिनांक 25.07.2022 को उपस्थित होवें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)